

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट

लखनऊ दिनांक 08 जनवरी, 2018

विषय- जनपद न्यायालय झाँसी के वाहय न्यायालय गरौठा में 02 न्यायालय भवनों, प्रशासनिक भवन एवं महिला/पुरुष लाकअप के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश स0-182/2015/2305/सात-न्याय-9(बजट)-2015-820/89, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनपद न्यायालय झाँसी के वाहय न्यायालय गरौठा में 02 न्यायालय भवनों, प्रशासनिक भवन एवं महिला/पुरुष लाकअप के निर्माण हेतु ₹0498.33 लाख के आगणन पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ प्रथम किश्त के रूप में ₹0249.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है ।

2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद न्यायालय झाँसी के वाहय न्यायालय गरौठा में 02 न्यायालय भवनों, प्रशासनिक भवन एवं महिला/पुरुष लाकअप के निर्माण हेतु ₹0498.33 लाख के अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि **₹0249.33 लाख (₹0 दो करोड़ उनचास लाख तैंतीस हजार मात्र)** की धनराशि केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- चूंकि उक्त निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, कार्यदायी संस्था नामित है, अतः उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई- 12 झाँसी को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक उच्च न्यायालय लखनऊ बैंच लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।

2- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि काउपयोग दिनांक 31-03-2018 तक अवश्य कर लिया जायेगा। पूर्व में स्वीकृत धनराशि से यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा ।

3- -लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

4- शासनादेश सं0-182/2015/2305/सात-न्याय-9(बजट)-2015-820/89, दिनांक 15 अक्टूबर,2015 की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे ।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

6- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय् व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस - 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी ,2010 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 01-कार्यालय भवन- 051-निर्माण - 01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें -0101-प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालय की स्थापना (के0-60/रा0-40, के0*रा0)- 24 वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1- 1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)

प्रमुख सचिव

सं0- 09 /2017/1145(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) 30प्र0, इलाहाबाद ।
- 3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ ।
- 4- निजी सचिव, अध्यक्ष अवस्थापना मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मा0 अध्यक्ष के अवगतार्थ।5- जनपद न्यायाधीश झॉंसी ।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 7- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के माध्यम से।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
- 9- परियोजना प्रबन्धक, 30प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई- 12 झॉंसी ।
- 10- वित्त ई- 12।
- 11- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।